

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती प्रीति सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

प्र0स0 - 100/2019

उनवान

1 भागीरथ पिता जगरूप कुमावत उम्र वयस्क निवासी रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज. _____ (प्राथी)

बनाम

1. बालु पिता सुरजमल उम्र वयस्क निवासी रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. लादु लाल पिता सुवालाल जोशी उम्र वयस्क निवासी रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
3. मोहनलाल पिता चतरभुज दरोगा उम्र वयस्क निवासी रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
4. हजारी पिता सोला चमार उम्र वयस्क निवासी रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
5. लादु पिता उंकार कुमावत उम्र वयस्क निवासी रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
6. गणेश पिता गजानन्द दमामी उम्र वयस्क निवासी रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज. -डिलीट
7. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय बैंक शाखा माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

_____ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

श्री कृष्ण कुमार जीनगरप्राथी अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक - 05.09.2019

:: निर्णय ::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 21.05.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नयाखेडा पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 157 के आ0न0 1893, 1896, 1897 किता 3 कुल रकबा 04-05 बीघा, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा विह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.05.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी क्रम 06 को छोड़कर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये, अवशेष रहे विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 06 का सम्मन लौटकर अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्राथी द्वारा विपक्षी क्रम 06 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्राथी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 06 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्राथी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना प्राथी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नयाखेडा पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 157 के आ0न0 1893, 1896, 1897 किता 3 कुल रकबा 04-05 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बेंरा को 500/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा